न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

सिलिंग अपील संख्या : 05/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सोहनसिंह के कायममुकामः– 1– मूलसिंह पुत्र स्व. सोनसिंह 2– ओमसिंह पुत्र स्व. सोनसिंह 3– भगवानसिंह पुत्र स्व. सोनसिंह के कायममुकामः– 3/1 ओमकुवंर पत्नी स्व. भगवानसिंह 3/2 जयसिंह पुत्र स्व. भगवानसिंह 3/3 विक्रमसिंह पुत्र स्व. भगवानसिंह 3/4 रणजीतसिंह पुत्र स्व. भगवानसिंह 4– श्रीमती सुगन कुंवर पत्नी स्व. सोनसिंह 5– कैलाश कुंवर पुत्री स्व. सोनसिंह 6– मिसु कुंवर पुत्री स्व. सोनसिंह सभी जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम चूडीयास, पोस्ट रेन, तहसील डेगाना, जिला नागौर।		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर।

अपील अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.01.1976 जो न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृषि भूमि सीलिंग) जोधपुर द्वारा बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी बनाम सांगसिंह सिलिंग प्रकरण सं0 1418/75 में पारित किया गया।

आदेश दिनांक 18.08.2022

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाबसिंह चंपावत अधिवक्ता (अपीलार्थीगण)

2– प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता/पति स्व. सोनसिंह पुत्र बनेसिंह (एसेसी) की खातेदारी भूमि ग्राम सालवा खूर्द रकबा 157 बीघा 2 बिस्वा व ग्राम चूडियास तहसील डेगाना जिला नागौर में ख.नं. 87 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 154 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 183मी रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 8/1 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 19 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 95 बीघा 14 बिस्वा आई हुई थी। इस प्रकार कुल रकबा 252 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी की भूमि में से 135 बीघा सीलिंग सीमा मानते हुए 117 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया तथा एसेसी को विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया एवं ख.नं. 326 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा, ख.नं. 423 रकबा 68 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 323 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा व ख.नं. 327 में से रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल भूमि 117 बीघा 17 बिस्वा भूमि एसेसी सोनसिंह से अधिग्रहण का आदेश/निर्णय दिनांक 19.01.1976 जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर अपील मीमों मय प्रार्थना पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष का नोटिस तारीख पेशी दिनांक 17.06.2019 का बाद तामील लौटा। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 02.08.2022 को अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण दिनांक 08.01.1976 को दर्ज होने के पश्चात् अप्रार्थी एसेसी सोनसिंह को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट में सम्मन तामील होने संबंधी उल्लेख नहीं है जबकि ऑर्डरशीट दिनांक 08.01.1976 में उल्लेख किया कि अप्रार्थीपक्ष को तामील दिनांक 22.12.1975 को हो गया। बहस में यह भी बतलाया कि मातहत न्यायालय की ऑर्डरशीट दिनांक 08.01.97 लिखी गी गई उस दिन पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। बहस में यह भी कहा कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रारूप विवरण को प्राप्त के पीछे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में ' एक फर्द भरपाई तथा दिनांक 22.12.1975 ' का उल्लेख किया गया, जबकि तामील कुनिन्दा ने अपने हस्ताक्षर दिनांक 24.12.1975 लिखा है। बहस में यह भी कहा कि एऐसी सोनसिंह का प्रपत्र में पता ग्राम चूड़ीवास तहसील डेगाना का लिखा हुआ है तथा सवार गांव जाकर तामील नहीं करवाई, न सोनसिंह के सही हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस के निरन्तर में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित

लगातार...

करने से पूर्व स्वयं के स्तर पर कोई जांच नहीं की। एसेसी की कुल खातेदारी भूमि के संबंध में व परिवार के सदस्यों के संबंध सही जांच नहीं की, उक्त प्रकरण में एसेसी व उसके बड़े लड़के भगवानसिंह की अलग अलग युनिट बनती है क्योंकि भगवानसिंह बालिग था व पिता पर आश्रित नहीं था। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी एसेसी सोनसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् जमाबंदी की नकल लेने के लिए हलका पटवारी से मिलने पर पटवारी ने दिनांक 21.11.2018 को बतलाया कि भूमि सरकारी खाते में चली जाने पर दिनांक 22.11.2018 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 30.01.2019 को नकल मिलने पर निर्णय को पढने पर जानकारी होना बताया। बहस के अन्त मे प्राधिकृत अधिकारी ने एसेसी सोनसिंह की विधिवत तामील करवाये बिना, सुनवाई का अवसर व साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिये बिना दिनांक 19.01.1976 को अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल की है तथा ऐसे आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य बताते हुए मियाद सुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की। बहस के तकों के समर्थन मे RRT 2007(1) पेज–125 व RRD July 2000 पेज 263 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

प्रत्यर्थीपक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) की ओर से जबाब पेश हुआ जिसमें अपील के बिन्दु संख्या–1, 2, 3, 4, 5 में वर्णित तथ्य आधारहीन व असत्य होने से अस्वीकार होना कहा। अपीलांट के पिता/पति द्वारा उक्त परिवाद में प्रस्तुत नए सिंलिग कानून के अन्तर्गत धोषणा पत्र की जांच तहसीलदार बिलाड़ा व तहसीलदार डेगाना जिला नागौर द्वारा करवाई जाने पर अपीलार्थीपक्ष पिता/पति के नाम खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सालवा खूर्द तहसील बिलाड़ा में कुल 157.10 बीघा असिंचित व ग्राम चूड़ियास तहसील डेगाना जिला नागौर में स्थित कुल खातेदारी कृषि भूमि 95.14 बीघा अर्थात् कुल भूमि 252.16 बीघा भूमि पाई गई। जबाब में यह भी बतलाया कि सीलिंग परिवाद में पूर्व में गैरसायल पर जारी नोटिस तामील/अदम तामील नही होने पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी(कृषि सिलिंग भूमि) जोधपुर द्वारा सीलिंग प्रकरण सं0 1418/1975 में अपीलांट के पिता/पति सोनसिंह पुत्र बनेसिंह साकिन सालवा खूर्द हाल चूड़ियास तहसील डेगाना जिला नागौर भिजवाया गया जिसको तहसील डेगाना कार्यरत तामील कुनिन्दा किस्तुरराम ने दिनांक 29.12.1975 को सोनसिंह पुत्र बनेसिंह के स्वयं द्वारा तामील करवाया जाकर रिपोर्ट की है, जो विधि अनुसार है।

जबाब में बिन्दु सं0 6 व 7, 8, 9 में वर्णित तथ्य अपीलार्थीगण के मनगढन्त एवं मिथ्या होने से भी अस्वीकार होना कहा। प्रपत्र 12 व प्रपत्र 13 के पीछे गैरसायल/अप्रार्थी सोनसिंह के हस्ताक्षर गलत एवं सही होने के संबंध में अपीलार्थीगण स्वयं सिद्ध करें तथा न्यायालय ने नोटिस की प्राप्ति एवं तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट को सही और विधि अनुसार मानते हुए सीलिंग परिवाद में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जबाब के अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का भी अध्ययन किया। अपील का गुणावगुणन निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि एसेसी सोनसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् जमाबंदी की नकल लेने के लिए हलका पटवारी से मिलने पर दिनांक 21.11.2018 को पटवारी द्वारा भूमि सरकारी खाते में चली जाने की जानकारी देने पर दिनांक 22.11.2018 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 30.01.2019 को नकल मिलने पर निर्णय को पढने पर सर्वप्रथम जानकारी होना बताया गया, परन्तु अपीलार्थीगण पिता/पति का स्वर्गवास कब हुआ, तारीख का उल्लेख तक नहीं है, न उनके मृत्यु होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 42 वर्ष पश्चात् विलम्ब होने का कोई युक्तियुक्त एवं संतोषजनक कारण प्रकट नहीं होता है, द्वितीयत् अपीलार्थीगण के पिता/पति एसेसी सोनसिंह ने अपने जीवनकाल में चुनौति नहीं देने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अपील अति विलम्ब से प्रस्तुत होने से इस स्टेज पर भी निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष की ओर प्रस्तुत RRT 2007(1) पेज–125 व RRD July 2000 पेज 263 पर दिये गये न्याय निर्णयों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी(कृषि भूमि सिलिंग) जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 12 के तहत प्रारूप विवरण तारीख पेशी 24.12.1975 का जारी किया गया, उस पर एसेसी सोनसिंह के प्राप्ति के हस्ताक्षर किये हुए है तारीख 21.12.75 अंकित भी की हुई है तथा उस पर किस्तुरराम नामक तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर सहित 24.12.75 अंकित है, परन्तु तारीख 24 पर ऑवरराइटिंग किया जाना जाहिर होता है। धारा 12 के तहत पुनः प्रारूप विवरण तारीख पेशी 09.01.76 का जारी हुआ, उस पर दो मौतबिरान के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट तामील कुनिन्दा किस्तुरराम के हस्ताक्षर सहित तारीख 8.1.76 के साथ लौटा। अतः उक्त प्रकरण में एसेसी सोनसिंह को नोटिस जारी हुए तथा दोनों नोटिसेज की तामीली रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि एसेसी सोनसिंह को इत्तला हुई, वो पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त धारा 13 के तहत अंतिम विवरण (सरप्लस भूमि की घोषित की गई) दिनांक 07.02.1976 जारी किया गया उस पर भी एसेसी सोनसिंह के प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर किये जाने प्रकट होते है। अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्याय निर्णय के तथ्य इस प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य भिन्न भिन्न होने से ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील के तथ्य प्रकट किये गये वे सारहीन होने से अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी का यह कथन भी है कि एसेसी सोनसिंह की ओर से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 10 के तहत विवरणिका प्रपत्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुआ उसमें स्वयं सोनसिंह द्वारा अपने परिवार की सूचि प्रस्तुत हुई जिसमें भंगवानसिंह की आयु 16 वर्ष की होना सत्यापित किया हुआ है अतः भगवानसिंह उस दौरान बालिग था तथा अपने पिता पर आश्रित नहीं था, इस बाबत्

अपीलार्थी ने अपील के साथ भी ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।